

क्रमांक : 2962-64

जिला कलवटर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा), जिला सीकर

दिनांक ०५-१०-२२

विज्ञापि

ब्लॉक संसाधन व्यवित के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यवितों की जिला स्तर पर आवंटित 62 पदों के लिए संचिदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 01.10.2022 से 15.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. स.	सेवा का नाम	संख्या	मानदण्ड	निधारित योग्यताएँ	आवेदन की अन्तिम तिथि
				शैक्षणिक तकनीकी / प्रशेषणिक	आयुक्त (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)
1	ब्लॉक संसाधन	62	500/- प्रति व्यवित प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	सूचना प्रशेषणिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष आधिकारम 15.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले को वेबसाइट <https://sikar.rajasthan.gov.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।


जिला कार्यक्रम समन्वयक
(जिला कलवटर)
सीकर

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) (जिला.....)

क्रमांक :

दिनांक :

विज्ञाप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश/अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑफलाइन आवेदन पत्र (Offline applications) आमंत्रित किये जाते हैं :—

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश :—

क्रं. सं	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	ताकनीकी/ प्रशिक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिलों को आवेदित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/ कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	15.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :—

1. ऑफलाइन आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किये जाने हैं।

2. सभी आवेदकों द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र (**Offline Application Form**) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन भरने से पूर्व सम्बन्धित जिला कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञाप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गयी हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

3. परीक्षा शुल्क — आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 50रु का भारतीय पोस्टल ऑडर जो की अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद कार्यालय पर देय होगा, संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अंतिपिछड़ा वर्ग के आवेदकों परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें :-

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)SSAAT / नियमावली / 23019 / 7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित आहरताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं।

1. शैक्षणिक योग्यता – पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु – आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत् राजकीय कर्मचारी पात्र होगे।
6. आवेदन—कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–
 - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 5(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
 - (ख) बिन्दु संख्या 5(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषण पत्र
 - (ग) बिन्दु संख्या 5(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - (घ) बिन्दु संख्या 5(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त आहरता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होनी की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थीयों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
5. ओवदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंवटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण—पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर प्राप्त किया जावेगा।

6. ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :-

ऑफलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की बेवसाइट से डाउनलोड करके भरे जायेंगे। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिशः अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा) सम्बन्धित जिला परिषद कार्यालय में निर्धारित तिथि 15.10.2022 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

7. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाण –पत्रों का सत्यापन :-

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन सम्भन्धित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की बेवसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

3. जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित हैं।

4. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

5. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।

6. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे।

संलग्न- जिलों को आवंटित ब्लॉक

संसाधन व्यक्तियों की सूची

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलकटर.
जिला.....

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
माह मार्च 2022 में सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल पंचायत समितियों की संख्या	ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदों की संख्या (अनुपातिक आधार पर)
1	AJMER	325	54
2	ALWAR	584	97
3	BANSWARA	419	70
4	BARAN	235	39
5	BARMER	689	115
6	BHARATPUR	403	67
7	BHILWARA	398	66
8	BIKANER	367	61
9	BUNDI	184	31
10	CHITTORGARH	299	50
11	CHURU	304	51
12	DAUSA	288	48
13	DHOLPUR	189	32
14	DUNGARPUR	353	59
15	HANUMANGARH	269	45
16	GANGANAGAR	345	58
17	JAIPUR	602	100
18	JAISALMER	206	34
19	JALORE	307	51
20	JHALAWAR	254	42
21	JHUNJHUNU	337	56
22	JODHPUR	629	105
23	KARAUI	243	40
24	KOTA	158	26
25	NAGUR	500	83
26	PALI	341	57
27	PRATAPGARH	235	39
28	RAJSAMAND	214	35
29	SAWAI MADHOPUR	229	38
30	SIKAR	375	62
31	SIROHI	171	28
32	TONK	236	39
33	UDAIPUR	652	108
	कुल योग	11340	1886

जिला

आवेदन पत्र का प्रारूप

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम जन्म की तारीख आयु (दिनांक 10.2022 को) वर्ष मास

पिता/पति का नाम माता का नाम विवाहिक स्थिति वर्ग विशेष वर्ग

वार्षिक पारिवारिक आय मोबाइल नंबर वैकल्पिक मोबाइल नंबर

ई-मेल स्थाई पता गॉव का नाम ग्राम पंचायत का नाम

पंचायत समिति का नाम जिला आधार नंबर

पत्राचार का पता

शैक्षणिक योग्यता

क्रसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

क्रसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	RSCIT								
2.	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ? हाँ / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है / अनुभव :

यदि हाँ तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सलाह करें।

क्रसं	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की पृष्ठति
1.	ग्राम विकास विभाग / पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

डिबार्मेंट / आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हाँ / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हाँ / नहीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर